न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/4249/2003/सवाई माधोपुर

1. केसरलाल
2. रामनाथ

–पुत्रगण मांग्या जाति बैरवा निवासीगण गण्डायता तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

....**अपीलार्थीगण/वादीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2. नायब तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
3. गिरदावर पटवारी हल्का ग्राम छाण निरीक्षण क्षेत्र नम्बर 4 तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
4. पटवारी हल्का ग्राम छाण तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

....**उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वाई.डी.शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण।
श्रीमति पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, उत्तरदातागण।

निर्णय

दिनांकः– 09–01–2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील सं. 65/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–07–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक दावा बाबत इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण को खातेदारी दिलाये जाने बाबत ग्राम छाण तहसील खण्डार स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 448 रकबा 15 बीघा भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र इस आशय के साथ पेश किया कि खसरा संख्या 449 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा का इन्द्राज जो रेवेन्यु रेकार्ड में बरवक्त वादीगण के पिता के वक्त से तथा उसकी देहान्त के बाद वादीगण के नाम बतौर खातेदार के चला आ रहा है एवं लगान लिया जा रहा है उसकी दुरूस्ती की जाकर उक्त लगान खसरा संख्या 448 दर्ज किया जाकर उसकी लगान में समायोजन किया जावे यानि की रेवेन्यु रेकार्ड में 449 के स्थान पर बतौर खातेदारी के खसरा संख्या 448 दुरूस्त करते हुए दर्ज की जाकर खसरा संख्या 448 की खातेदारी वादीगण के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में जमाबंदी में दर्ज की जावे। उक्त वाद पत्र का राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार ने जवाबदावा इस आशय के साथ पेश किया कि अवैध कब्जे के आधार पर एवं शास्ति के आधार पर नियमानुसार खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते। यदि दावा मियाद बाहर है एवं वादीगण का सद्भावी काश्तकार पेशा नहीं है। तदनुसार वाद/वादीगण को खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय अनुतोष सहित 4 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक-पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 27-03-2002 पारित करते हुए वादीगण के वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने उक्त डिक्री इस आशय के साथ पारित की कि खसरा संख्या 448 रकबा 15 बीघा वर्तमान में वादीगण का कब्जा बतौर अतिक्रमी है तथा वादीगण को खसरा संख्या 449 में आवंटित भूमि 15 बीघा के स्थान पर खसरा संख्या 448 दुरूस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं होने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-07-2003 द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित

होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उन्होंने कहा कि प्रश्नगत रकबा खसरा संख्या 448 पर वादीगण के पिता मांग्या सम्वत 2012 के पूर्व से निरन्तर काबिजकाश्त चले आ रहे है तथा आवंटन भी वादीगण के पिता को खसरा संख्या 448 के स्थान पर खसरा संख्या 449 में अंकित कर दिया गया है। जबकि सम्वत 2012 से पूर्व खसरा संख्या 448 पर उनके पिता का कब्जा चला आ रहा है। उनका यह भी कहना है कि वादीगण ने अपने वाद को जरिये पर्याप्त राजस्व रेकार्ड प्रमाणित कराया है तथा मौखिक साक्ष्य से भी अपने वाद को प्रदर्शित कराया है। आगे बताया कि उनके पिता खसरा संख्या 449/1/1/12 पर कभी काबिज नहीं रहे तथा वास्तविक भौतिक कब्जा खसरा संख्या 448/3 का समायोजन करते हुए वादीगण के नाम रेकार्ड में दुरूस्ती किया जाना नियमानुकूल है। उनका तर्क है कि संबंधित पटवारी द्वारा भी प्रश्नगत रकबे की जांच की जा चुकी है तथा आवंटन भी प्रश्नगत रकबे के बाबत ही होना माना है। उनका यह भी तर्क है कि मूल वाद की कार्यवाही में प्रतिवादी राज्य सरकार ने अपना कोई जवाबदावा पेश नहीं किया तथा जवाबदावा बंद होने के बाद सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया है जो कि कानूनन पढने योग्य नहीं है। उनका आगे कहना है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपना निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं करने के कारण न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधित प्रावधानों की अवहेलना की है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर जो निर्णय पारित किए है, वह निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–07–2003 तथा सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित

निर्णय व डिक्री दिनांक 27-03-2003 को निरस्त करते हुए वाद/वादीगण को स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्रियों को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधि सम्मत होना बताया। उनका कथन है कि मामले में जो रकबा मांग्या के नाम आवंटित है वह खसरा संख्या 449 के बजाय 448 दर्ज किया गया है। यहीं नहीं वादीगण का खसरा गिरदावरियों के अनुसार कब्जा प्रमाणित नहीं है। वादीगण का प्रश्नगत रकबें पर कब्जा केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से है। यहीं नहीं लगान की रसीदों में भी स्पष्ट खसरा नम्बरान का अभाव है। इस कारण वादीगण द्वारा दुरूस्ती का जो अनुतोष चाहा गया है, वह नियमानुसार देय नहीं है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबा रेकार्ड में चरागाह दर्ज है तथा ऐसी भूमियों का नियमानुसार आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती विधि सम्मत निष्कर्ष अंकित किए है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने योग्य है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण किया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपना दावा बाबत इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण को खातेदारी दिलाये जाने बाबत ग्राम छाण तहसील खण्डार स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 448 रकबा 15 बीघा भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। जिसमें अनुतोष चाहा गया कि खसरा संख्या 449 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा का इन्द्राज जो रेवेन्यु रेकार्ड में बरवक्त वादीगण के पिता के वक्त से तथा उसकी देहान्त

के बाद वादीगण के नाम बतौर खातेदार के चला आ रहा है एवं लगान लिया जा रहा है उसकी दुरूस्ती की जाकर उक्त लगान खसरा संख्या 448 दर्ज किया जाकर उसकी लगान में समायोजन किया जावे यानि की रेवेन्यु रेकार्ड में 449 के स्थान पर बतौर खातेदारी के खसरा संख्या 448 दुरूस्त करते हुए दर्ज की जाकर खसरा संख्या 448 की खातेदारी वादीगण के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में जमाबंदी में दर्ज की जावे। उक्त वाद पत्र का राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार ने जवाबदावा इस आशय के साथ पेश किया कि अवैध कब्जे के आधार पर एवं शास्ति के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। यदि दावा मियाद बाहर है एवं वादीगण सद्भावी काश्तकार पेशा नहीं है। तदनुसार वाद/वादीगण को खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय अनुतोष सहित 4 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक-पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 27-03-2002 पारित करते हुए वादीगण के वाद को खारिज कर दिया। उक्त डिक्री इस आशय के साथ पारित की कि खसरा संख्या 448 रकबा 15 बीघा वर्तमान में वादीगण का कब्जा बतौर अतिक्रमी है तथा वादीगण को खसरा संख्या 449 में आवंटित भूमि 15 बीघा के स्थान पर खसरा संख्या 448 दुरूस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं होने के कारण वाद खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-07-2003 द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। रेकार्ड के अनुसार खसरा संख्या 448 वाके ग्राम छाण पर वादी का सम्वत 2016 से आदिनांक तक लगातार कब्जा होने बाबत किसी प्रकार का प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहीं नहीं प्रश्नगत रकबे पर वादीगण का जब भी कब्जाकाश्त रहा है वह केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से होना परिलक्षित होता है। वादीगण द्वारा प्रश्नगत रकबे पर कब्जा किए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की समय-समय पर कार्यवाही अमल में लाई जानी दर्शित है तथा जरिये कार्यवाही वादीगण का आराजी से कब्जाकाश्त हटवाया गया है। इसके बावजूद भी वादीगण द्वारा बार-बार प्रश्नगत रकबे पर कब्जा किया जा रहा है। यह भी स्थिति प्रकट होती है कि वादीगण अपनी सुविधा के अनुसार कभी खसरा संख्या 449 पर तो कभी खसरा संख्या 448 पर

काबिज होता रहा है। जबकि आराजी राजस्व रेकार्ड में चरागाह के रूप में दर्ज होने के कारण नियमानुसार ऐसी भूमि के बाबत वादीगण को किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 117 के अनुसार खसरा संख्या 448 वादी के पक्ष में तथा जो नामान्तरकरण संख्या 1389 स्वीकार किया गया है उसमें मांग्या को आवंटित भूमि खसरा संख्या 449/1/1/12 उत्तराधिकार से वादीगण की खातेदारी में दर्ज की गई है। वादीगण द्वारा अपने पक्ष में जिन राजस्व रेकार्ड को न्यायालय के समक्ष पेश किया है, उसमें वादीगण की हैसियत केवल मात्र अतिक्रमी के रूप में है। उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट से प्रमाणित होता है कि वादीगण का खसरा संख्या 449/1/1/12 पर ही आवंटन वैध रूप से प्रमाणित है। यदि तर्क के लिए वादीगण का खसरा संख्या 448 पर कब्जा मान भी लिया जावे तो भी यह प्रदर्शित होंता है कि वादीगण के पिता ने आलोच्य आवंटन बाबत खसरा संख्या 449/1/1/12 को कभी भी खारिज नहीं करवाया है। उपलब्ध राजस्व रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात व दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में वादीगण के मूल वाद में सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 27–03–2002 को पारित करने में न्यायालय ने किसी विधि का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिनुकूल पायी जाती है।

8. उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अपास्त की है। हमारे द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के साथ पेश रेकार्ड तथा सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मामले में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में पारित निर्णय में किसी विधि का उल्लंघन होना या अपनी क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। अतः आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानान्तर्गत पारित किए जाने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है।

9. हमारे समक्ष बहस के दौरान अपीलार्थीगण ने आक्षेप उठाया है कि मामले में विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय विवाद्यकवार पारित किया है जबकि इसी निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी अपील में प्रथम अपीलीय

न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय बिना विवाद्यक कायम किए तथा बिना विरचित किए पारित करने के कारण आक्षेपित निर्णय विधायिका की भावना के विपरीत है। इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना समीचन है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत होते हुए आक्षेपित निर्णय पारित करने की स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विवाद्यकवार निर्णय पारित करना आज्ञापक नहीं है।

10. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः–

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार विधि सम्मत समवर्ती निर्णयों में जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विधि सम्मत समवर्ती निर्णय पारित किए है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–07–2003 तथा सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–03–2002 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य